न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी भावना गर्ग)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 27/2019

1. श्रीमति जाहिदा पत्नि अब्दूल गनी उर्फ गनी मोहम्मद जाति पिनारा निवासी ग्राम कीटाप तहसील भिनाय हाल निवासी लोहाखान नई बस्ती मकान नंबर 1251/03 तहसील अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 30.05..2019

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम कीटाप पटवार मण्डल कुम्हारिया एवं भू. अभिलेख निरीक्षक बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित आराजी खसरा नं. 1355 रकबा 0.58 हैं0 भूमि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि हैं। जिसका पुरान खसरा नं. 605/2491 जिसका राजस्व नक्शा वर्तमान में पूर्व की तुलना में छोटा एवं गलत हैं। जिसे पूर्व की भांति सही किया जाकर वास्ते राजस्व नक्शा दुरूस्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने पत्रावली पर जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती योग्य न होना बताया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में उभयपक्षान को सुना गया। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित रहकर प्रार्थना पत्र अनुसार कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब पत्र के समर्थन में कथन किये कि विवादित भूमि आवंटन होकर खातेदार करीम खां पुत्र भुरे खां के नाम नामान्तकरण सं. 27 दिनांक 23.08.98 से खातेदारी दर्ज हुई। खातेदार करीम खां वल्द भुरे खां की मृत्यु होने पर नामान्तकरण सं. 28 दिनांक 23.08.98 से उनके वारिसान सायरी पत्नि करीम खां व बहादुर खां पुत्र करीम खां के नाम अंकन हुआ। नामान्तकरण सं. 38 दिनांक 28.12.98 से उक्त भूमि खसरा नं. 605/2491 रकबा 3 बीघा 12 बीस्वा जरिये दानपत्र के खातेदार सायरी पत्नि करीम खां व बहादुर खां पुत्र करीम खां के स्थान पर प्रार्थीया जाहिदा बेगम पत्नि अब्दुल गनी कौम पिनारा के नाम दर्ज हुई। जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–77 ग्राम कीटाप के खाता नं. 156 में प्रार्थीया के नाम खसरा नं. 3349/1355 रकबा 0.48, 3351/3171 रकबा 0.08, 3370/3350 रकबा 0.02 कुल किता 3 रकबा 0.58 हैं0 भूमि दर्ज हैं। वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं. 1355 रकबा 0.08 व 1355/3171 रकबा 0.45 हैं0 सिवायचक भूमि दर्ज है। वर्तमान खसरा नं. 1355/3171 रकबा 0.53 साबिक खसरा नं. 608 मी. रकबा 0.45, 605 मी. रकबा 0.08 से बने है। खसरा नं. 605

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 16:48:31 IST
Reason: SelfAttested